प्रपत्र 23

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा–तच्छाली–स्यालिंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8675 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :–तच्छाली ग्रा० – गिंठाला
तहसील कोटद्वार जिला–पौड़ी गढ़वाल।

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद **पौड़ी गढ़वाल** के अन्तर्गत **माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा सं0–1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा–तच्छाली–स्यालिंगा मोटर मार्ग के कि0मी0 0.000 से 5.000 तक मार्ग निर्माण कार्य** परियोजना के निर्माण हेतु 1.080 है0 आरक्षित वन भूमि, शून्य सिविल सोयम भूमि, 0.7875 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.8675 है0 वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा**विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत–**तच्छाली** द्वारा दिनांक 28/01/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासी द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **तच्छाली** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम सभा तच्छाली
ह0 [signature]
दिनांक 28.01.2021
तहसील कोटद्वार
ह0

ग्राम प्रधान

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उपजिलाधिकारी की अध्यक्षत में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एसेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

Scanned with CamScanner

प्रपत्र 23—1

दिनांक २८/०१ /2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत :—तच्छाली (ग्राम गिठाला)

क्र0सं0	ग्राम सभा के उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गोपाल सिंह	गोपालसिंह
2	जयमल सिंह	जयमल सिंह
3	हरि सिंह	[illegible]
4	जगमोहन सिंह	[illegible]
5	जयसिंह	जयसिंह
6	बृजमोहन सिंह	बृजमोहन सिंह
7	भगत सिंह	भगतसिंह
8	मेहरबान सिंह	मेहरबान सिंह
9	~~प्रेम सिंह~~	[illegible]
10	डबल सिंह	डबल सिंह
11	जगदीश सिंह	[illegible] सिंह
12	मीना देवी	मीना देवी
13	पुष्पा देवी	पुष्पा देवी
14	महिपाल सिंह	महिपाल
15	महावीर सिंह	[illegible]
16	भारत सिंह	भारतसिंह
17	मनोज रावत	Manoj
18	कमल सिंह रावत	[illegible]

प्रधान ग्राम सभा तच्छाली
ह0 [illegible]
दिनांक 28.01.2021
तहसील कोटद्वार

Scanned with CamScanner

प्रपत्र 23

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा–तच्छाली–स्यालिंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8675 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :–तच्छाली ग्राम - स्यालिंगा
तहसील कोटद्वार जिला–पौड़ी गढ़वाल।

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद **पौड़ी गढ़वाल** के अन्तर्गत **माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा सं0–1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा–तच्छाली–स्यालिंगा मोटर मार्ग के कि0मी0 0.000 से 5.000 तक मार्ग निर्माण कार्य** परियोजना के निर्माण हेतु **1.080** है0 आरक्षित वन भूमि, शून्य सिविल सोयम भूमि, **0.7875** है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **1.8675** है0 वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा**विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत–**तच्छाली** द्वारा दिनांक २१/०१/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासी द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **तच्छाली** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम सभा तच्छाली
ह0 विनीता देवी
दिनांक २१.०१.२१
तहसील कोटद्वार
ग्राम प्रधान

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एसेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

Scanned with CamScanner

प्रपत्र 23—1

दिनांक २९/०१/2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत :—तच्छाली (ग्राम स्यालिंगा)

क्र0सं0	ग्राम सभा के उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	शंकर सिंह	[illegible]
2-	सोबत सिंह	सोबतसिंह
3.	कुँवर सिंह	[illegible]
4.	गोपाल सिंह	मंगलसिंह
5.	मंगल सिंह	[illegible]
6.	दर्शन सिंह	जयपाल
7.	जयपाल सिंह	[illegible]
8.	लूणीराम	लूणीराम
9.	लक्ष्मण सिंह	लक्ष्मणसिंह
10.	राजकर सिंह	[illegible]
11.	प्रमोद सिंह	प्रमोद सिंह
12.	विक्रम सिंह	नीरज सिंह
13-	नीरज	अनूपसिंह
14.	अनूप सिंह	जसवन्त सिंह
15	जसवन्त सिंह	सतेन्द्र सिंह
16.	सतेन्द्र सिंह	[illegible]
17.	आनन्द सिंह	[illegible]
18.	नवीन सिंह	[illegible]
19.	खुशपाल सिंह	[illegible]
20.	बहादुर सिंह	मोहित सिंह
21	मोहित सिंह	
22	मनोज सिंह	Manoj Singh
23	संदीप सिंह	संदीप सिंह
24	जीतेन्द्र सिंह	जीतेन्द्र सिंह

प्रधान ग्राम सभा तच्छाली
ह0 [illegible]
दिनांक 21.01.2021
पौड़ी कोटद्वार

Scanned with CamScanner

प्रपत्र 23

परियोजना का नाम :— माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0—1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा—तच्छाली—स्यालिंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8675 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :—तच्छाली
तहसील कोटद्वार जिला—पौड़ी गढ़वाल।

अनापत्ति प्रमाण—पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा सं0—1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा—तच्छाली—स्यालिंगा मोटर मार्ग के कि0मी0 0.000 से 5.000 तक मार्ग निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 1.080 है0 आरक्षित वन भूमि, शून्य सिविल सोयम भूमि, 0.7875 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.8675 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डाविभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत—तच्छाली द्वारा दिनांक 02/02/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासी द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तच्छाली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम सभा तच्छाली
ह0 [signature]
दिनांक 02.02.2021
ह0 तहसील कोटद्वार

ग्राम प्रधान

नोट :— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

Scanned with CamScanner

प्रपत्र 23–1

दिनांक 02/02/2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत :–तच्छाली (ग्राम तच्छाली)

क्र0सं0	ग्राम सभा के उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गोपाल दत्त बेवनी	गोपाल दत्त
2	रमेश चन्द बेवनी	रमेश चन्द्र
3	नीमा देवी	नीमा देवी
4	जयकिशन जखमोला	जयकिशन जखमोला
5	वेद प्रकाश बेवनी	वेद प्रकाश
6	सतीश बेवनी	सतीश
7	विजय प्रसाद बेवनी	Vijay Parshad
8	महेश चन्द बेवनी	महेशानन्द
9	जोगेश्वर प्रसाद बेवनी	जोगेश्वर प्रसाद
10	बृजेश कुमार बेवनी	Brijesh Kumar
11	भगवती प्रसाद बेवनी	भगवती

प्रधान ग्राम सभा तच्छाली
ह0 ...विनीता...
दिनांक 02.02.2021
तहसील कोटद्वार

Scanned with CamScanner

प्रपत्र 23–2

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा–तच्छाली–स्यालिंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8675 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

कार्यालय उपजिलाधिकारी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड. **कोटद्वार**परिक्षेत्र के अन्तर्गत**माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा सं0–1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा–तच्छाली–स्यालिंगा मोटर मार्ग के कि0मी0 0.000 से 5.000 तक मार्ग निर्माण कार्य** (**1.080** है0 आरक्षित वन भूमि, **शून्य** है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, **0.7875** है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **1.8675**है0 वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा**प्रयोक्त एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति (तहसील **कोटद्वार**) की दिनांक.07/08/2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री योगेश सिंह..............उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक मे माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री योगेश सिंह..........उपजिलाधिकारी..कोटद्वार..........अध्यक्ष।

2– श्री [illegible]......उपप्रभागीय वनाधिकारी..........[illegible]..........सदस्य।

3– श्री Hemlata Jaiswal......सहायक समाज कल्याण अधिकारी...dugadda..सदस्य/सचिव।

4– श्री जीतेन्द्र सिंह..........बी0डी0सी0क्षेत्र/..........उमड़ा..........सदस्य।

उपजिलाधिकारी कोटद्वार

जितेन्द्र सिंह नेगी
क्षेत्र पंचायत सदस्य उमड़ा
वि0 खं0 दुगड्डा
पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा सं0–1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा–तच्छाली–स्यालिंगा मोटर मार्ग के कि0मी0 0.000 से 5.000 तक मार्ग निर्माण कार्य** परियोजना हेतु **1.8675**है0 आरक्षित एवं सिविल सोयम एवं वन पंचायत **भूमि लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा**प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपभोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

Scanned with CamScanner

सम्बन्धित उपप्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों व मान्यता) अधिनियम 2006 एवं वन सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान का स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्य को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन प्रत्र प्रस्तुत नः किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

वर्तमान में उपखण्ड **कोटद्वार**परिक्षेत्र के अन्तर्गत **माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा सं0–1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा–तच्छाली–स्यालिंगा मोटर मार्ग के कि0मी 0.000 से 5.000 तक मार्ग निर्माण कार्य** परियोजना के निर्माण हेतु **1.8675** है0 वन भूमि लैन्सडौन वन प्रभा कोटद्वार से प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर आवंटित किये जाने पर सहमा व्यक्त की गई।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति
तहसील–कोटद्वार।
जनपद–पौड़ी।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति
तहसील–कोटद्वार।
जनपद–पौड़ी।

Scanned with CamScanner

दिनांक 17/8/2021 को जिलाधिकारी पौड़ी की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति रही :–

1–	सर्व श्री	जिलाधिकारी, पौड़ी	अध्यक्ष।
2–	श्री दीपक सिंह	प्रभागीय वनाधिकारी, कोटद्वार	सदस्य।
3–	श्री विनोद कुमार अधिकारी	जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी	सदस्य।
4–	भरत सिंह नेगी	जिला पंचायत सदस्य..................................	सदस्य।

प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग

जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी गढ़वाल

भरत सिंह नेगी
जिला पंचायत सदस्य
16–पटुड़ाकरा जिला पंचायत

बताया गया कि ....ब्लॉक में ....मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है, जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। उक्त मार्गो हेतु उप स्तरीय समिति द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही करते हुए निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये हैं। मार्गो का विवरण निम्नवत् है :–

1–माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा–तच्छाली–स्यालिंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8675 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन :–इस मोटर मार्ग का निर्माण कोटद्वार–रामणी–बल्ली मोटर मार्ग के कि0मी0 से प्रारम्भ होता है। ग्राम स्यालिंगा की सीमा में समाप्त होता है। मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 5.00 कि0मी0 है। इस मोटर मार्ग के ग्राम तच्छाली की 1.2 कि0मी0 लम्बाई में आरक्षित भूमि, 0.875 कि0मी0 में वन पंचायत भूमि, लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार की प्रभावित हो रही है। मोटर मार्ग निर्माण में प्रस्तावित भूमि पर कोई आदिवासी जनजाति एवं परम्परागत वनवासी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में खण्ड स्तरीय समिति द्वारा अपनी संस्तुति दी गई है। इस मार्ग के निर्माण से आस–पास के सभी ग्रामों की जनता लाभान्वित होगी। इन गांवों को जोड़ने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग नहीं है और न ही प्रस्तावित है।

17/8/21
जिलाधिकारी
गढ़वाल।

Scanned with CamScanner

निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उप खण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त **माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा–तच्छाली–स्यालिंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु** प्रस्तावित आरक्षित एवं वन पंचायत भूमि 1.8675हे0 लो0नि0वि0 को उप खण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में समक्ष प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है। सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

( ) आई0ए0एस0
जिलाधिकारी
पौड़ी गढ़वाल।

जिलाधिकारी
गढ़वाल।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा।

पत्रांक........................./ सी0 दिनांक.................................

प्रतिलिपि :– 1–जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।
2–प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

17/8/21

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
दुगड्डा–गढ़वाल।

Scanned with CamScanner

It is further certified that-Minutes of Meeting of **Construction of Pulinda-Tachhali-Syalinga motor road in block Dugadda constituency Yamkeshwar (Under CM Ghoshna 1196/2016) in Distt-Pauri-Garhwal**(Length 5.00 Km) Regarding FRA is as following.

SL NO		REMARK
(a)	The complete process for indentification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire **1.8675Hect.** Of Forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultation and meeting of the forest Right Committee (s) Sub Division Level Committee(s) are enclosed as annexure 30.2	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers. No objection certificate concerned villages, **Tachhali, Syalinga** regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The Proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre agriculture Communities.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

भरत सिंह नेगी
जिला पंचायत सदस्य
16-पदुडअकरा जिला पंचायत
पौड़ी गढ़वाल
जिला पंचायत सदस्य

जिला समाज कल्याण अधिकारी
पौड़ी

प्रभागीय वनाधिकारी
लैंसडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल) कोटद्वार

जिलाधिकारी
गढ़वाल।
जिलाधिकारी
पौड़ी।

Scanned with CamScanner

प्रारूप 30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT GARHWAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes and other Traditional Forest Dwellers (recognition of right) act (FRA) 2006.

A meeting of the district level committee of Pauri District, Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of V. K. JOGDADE.................**I.A.S.** deputy commissioner, Pauri on dated --17/8/21--------at Pauri in which application claiming rights in Reserve Forest and Civil Soyam Forest area measuring **1.8675Hect** for the **Construction of Pulinda-Tachhali-Syalinga motor road in block Dugadda constituency Yamkeshwar (Under CM Ghoshna 1196/2016) in Distt-Pauri-Garhwal(Length 5.00 Km)** forest land under FRA. 2006 of the following applicant dully processed and recommended by the sub division level committee -------------sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no Objection/ claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place...Pauri

Dated..17/8/21.........

17/8/21
जिलाधिकारी
(गढ़वाल।)
Deputy Commissioner- cum-Chairman
District Level committee.

Scanned with CamScanner

दिनांक.17/8/2021 को जिलाधिकारी पौड़ी की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति रही :–

1–	सर्व श्री	जिलाधिकारी, पौड़ी	अध्यक्ष।
2–	श्री दीपक सिंह	प्रभागीय वनाधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार	सदस्य।
3–	श्री विनोद कुमार उनियाल	जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी / जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी गढ़वाल	सदस्य।
4–	भरत सिंह नेगी	जिला पंचायत सदस्य.................................. / भरत सिंह नेगी जिला पंचायत सदस्य 16–पदुडअकरा जिला पंचायत पौड़ी गढ़वाल	सदस्य।

बताया गया कि ....ब्लॉक में ....मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है, जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। उक्त मार्गो हेतु उप स्तरीय समिति द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही करते हुए निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये हैं। मार्गो का विवरण निम्नवत् है :–

1–**माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा–तच्छाली–स्यालिंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8675 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन** :–इस मोटर मार्ग का निर्माण कोटद्वार–रामणी–बल्ली मोटर मार्ग के कि0मी0 से प्रारम्भ होता है। ग्राम स्यालिंगा की सीमा में समाप्त होता है। मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 5.00 कि0मी0 है। इस मोटर मार्ग के ग्राम तच्छाली की 1.2 कि0मी0 लम्बाई में आरक्षित भूमि, 0.875 कि0मी0 में वन पंचायत भूमि, लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार की प्रभावित हो रही है। मोटर मार्ग निर्माण में प्रस्तावित भूमि पर कोई आदिवासी जनजाति एवं परम्परागत वनवासी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में खण्ड स्तरीय समिति द्वारा अपनी संस्तुति दी गई है। इस मार्ग के निर्माण से आस–पास के सभी ग्रामों की जनता लाभान्वित होगी। इन गांवों को जोड़ने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग नहीं है और न ही प्रस्तावित है।

17/8/21
जिलाधिकारी
गढ़वाल।

Scanned with CamScanner

निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उप खण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त **माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा–तच्छाली–स्यालिंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु** प्रस्तावित आरक्षित एवं वन पंचायत भूमि 1.8675हे0 लो0नि0वि0 को उप खण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में समक्ष प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है। सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

17/8/2

( ) आई0ए0एस0
जिलाधिकारी
पौड़ी

जिलाधिकारी
गढ़वाल

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा।

पत्रांक......................../ सी0 दिनांक................................

प्रतिलिपि :– 1–जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।
2–प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

17/8/2

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
दुगड्डा–गढ़वाल।

Scanned with CamScanner

Annexure-I 64

FORM-II
(for linear projects)
Government of Uttarakhand)
Office of the District Collector, Garhwal.

No----------------------- Dated 17/8/21

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India's letter No-11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRS for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2003 wherein MoEF issued proposed to be diverted in fabour of public work Department (Name of User Agency) for **Construction Division, PWD Dugadda** (Purposed for diversion of forest land) in Pauri District falls within jurisdiction of **Construction of Pulinda-Tachhali-Syalinga motor road in block Dugadda, constituency Yamkeshwar (Under CM Ghoshna 1196/2016) in Distt-Pauri-Garhwal** villagers (s) in Kotdwar tehsil.

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.8675**hectares of **Reserve Forest and Van Panchayat Land** proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee of the forest Rights committee(s) Gram sabha(s) Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ....annexure ....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama sabha have given their consent to it,

(c) the each of concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalities/Processes under the FRA have proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl. As above.

Signature
17/8/21

जिलाधिकारी
District Collector, Pauri
गढ़वाल।

Scanned with CamScanner

प्रपत्र – 23.4

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 –1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लाक के पुलिण्डा –तच्छाली – स्यालिंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण।(5.00कि0मी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित पुलिण्डा –तच्छाली – स्यालिंगा मोटर मार्ग 5.00कि0मी0के नव निर्माण हेतु 1.8675 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दि0 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार (Linear) प्रयोजनो यथा सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईप लाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानो से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजातीय समूह (Primeivtive Tribal Group) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculture Tribal Group) प्रभावित नही हो रहे है।

7/8/21
जिलाधिकारी
गढ़वाल।

ह0/–
जिलाधिकारी

Scanned with CamScanner